कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक– 22-02-2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा–प्रथम

....

विषयः– लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत्।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.1(6) प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के क्रम में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूपसे अस्थाई चयनितअभ्यर्थियों की सूचीदिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी.अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी (जिनकी सूचना मय आवेदन पत्र 28.02.18 को आपके कार्यालय के वाहक को पृथक से उपलब्ध करावाई जायेंगे।) जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैपटन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क–2/15/पार्ट दिनांक 22.05.17 (प्रति संलग्न) में अंकित विशेष पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर मानी जावेगी।

चयनित इन अभ्यर्थियों की दिये जाने के लिये इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावें:–

1. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीयसेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
2. इन अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे है।
3. इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (computer संबंधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां आवश्यक रूपसे प्राप्त कर ली जावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मूल आवेदन पत्र में अंकित नाम के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किया जावे। आवेदकों को नियुक्ति देने से पूर्व इनकी संबंधित सेवा नियम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत एवं विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो यथा आयु, वर्ग (Category) एवं योग्यता का उनके समस्त मूल प्रमाण पत्रों से एवं उनके आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों से मिलान का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।
4. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2016 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावें।
5. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र के साथ **Attestation Form** प्राप्त नहीं है तो विभाग अपनेस्तर से भरवाकर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें। आचरण की जांच का इन्तजार नहीं किया जावें।आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकुल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लायी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांचकरवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
6. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशा–निर्देशों के अनुसरण में सेवाओं में नियुक्ति नियमानुसार प्रदान की जावे। विभाग द्वारा अपने स्तर पर यह भी जांच करली जाये कि:–

   D- ओ.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जनकाक नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता

कार्यालय का नाम– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर दूरभाष संख्या 0151–2522238
E-mail:- dir.dse@rajasthan.gov.in FAX-0151-2201861

6. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशा–निर्देशों के अनुसरण में सेवाओं में नियुक्ति नियमानुसार प्रदान की जावे। विभाग द्वारा अपने स्तर पर यह भी जांच करली जाये कि:–

D- ओ.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जनकाक नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके आवेदन पत्र आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटाने हेतु इस विभाग को लोटा दिये जाए ताकि उनकी पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में आंकी जा सकें।

E- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आयके आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंवपति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र आयोग को लोटाए जाने हेतु इस विभाग को लोटाए जाए।

F- उक्त अभिस्तावना के अन्तर्गत भरतपुर, धोलपुर के जाट जाति के ओ.बी.सी. वर्ग के आवेदन पत्र अभिस्तावित नहीं किये गये है। यदि ऐसे कोई आवेदन आपकी जानकारी के आते है तो आवेदन आयोग को लोटाने हेतु इस विभाग को लोटाए जाए।

7. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारीस्तर से करवायी जानी है।
8. विभाग द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी कार्यग्रहण की निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करता है। तो नियुक्ति निरस्त के आदेश जारी करते हुए अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म इस विभाग को शीघ्र लोटाए।
9. किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई भी नियम संबंधी स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीयसेवा नियम, 1999 के तहत कार्मिक (क–2) विभाग से सम्पर्क कर राय प्राप्त करें।
10. कृपया नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी कर उक्त आदेशों को संकलित कर एक साथ सूचना इस कार्यालय/ संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर /सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भेजने की व्यवस्था करें। अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण की सूचना भी यथाशीध्र इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. नियुक्ति पत्र में निम्नाकिंत बिन्दुओं का समावेश किया जावे:–

    A नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।

12. आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण कर इस विभाग को सूचित करने श्रम करें:–

क.स.	विवरण	अवधि
1	आवेदन पत्र निदेशालय से वाहक स्तर प्राप्त करना	28.02.2018
2	प्रमाण पत्रों की जॉच	दिनॉक 06 एवं 07 मार्च.2018
3	नियुक्ति आदेश जारी करना	08 मार्च 2018 (कार्यग्रहण तिथि 23.08.18)
4	चिकित्सा जांच करा कार्यभार ग्रहण करने की समेकित सूचना इस कार्यालय को भिजवाना	नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में आवश्यक रूप से।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–I/माध्यमिक दिनॉक 28.02.2018 को निदेशालय से चयनित आशार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु वाहक के प्रमाणित हस्ताक्षर मय फोटो पहचान पत्र के इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजेगें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर